PUNE RESEARCH SCHOLAR ISSN 2455-314X
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL VOL 3, ISSUE 6

पंचायती राज के विकास में महिला नेतृत्व का योगदान

डॉ. महेंद्रनाथ झा
एसोसिएट प्रोफेसर (सामजशास्त्र)
सी0एम0जे0 विश्वविद्यालय,
मेघालय **भारत**

डॉ. मनोज कुमार मिश्रा
(शोधार्थी) (सामजशास्त्र)
सी0एम0जे0 विश्वविद्यालय,
मेघालय **भारत**

सारांश :–

पंचायती राज के माध्यम से महिला राजनीति का ग्रामीण स्तर तक राजनीतिकरण हो चुका है। शैक्षिक एवं आर्थिक रुप से अति पिछड़े ग्रामीण परिवारों से सम्बन्धित महिलाओं में नेतृत्व की भावना जाग चुकी है राजनीतिक महत्वकांक्षा के वसीभूत होकर उच्च राजनीति में प्रवेश हेतु पतित महिलाऐं अब आर्थिक स्वावलम्बन के लिये निरन्तर प्रयासरत है।

पंचायती राज में महिला आरक्षण आ जाने से ग्रामीण राजनीतिज्ञ परिवार में महिलाओं को चुनाव में उतारना पुरुषों की मजबूरी हो गयी है जो महिला एक बार जनप्रतिनिधि निर्वाचित हो चुकी फिर वह पीछे मुडकर नही देखना चाहती।

प्रत्येक नागरिक जिन्होने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो स्थानीय निर्वाचनों में मत देने का अधिकारी है तथा यदि 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तो निर्वाचन में उम्मीदवार के रुप में खड़ा भी हो सकता है, चाहे महिला हो या पुरुष।

स्टीवर्ड के अनुसार ''स्थानीय शासन एक ऐसा साधन प्रदान करता है, जिसके द्वारा नागरिक स्थानीय मामलों पर नियन्त्रण रख सकते है तथा अपना मत के माध्यम से अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते है।''

जिस प्रकार हमारे यहाँ स्थानीय महत्व की समस्याओं ग्राम पंचायतों और नगरों की नगरपालिकाओं द्वारा सुलझायी जाती है व ठीक उसी प्रकार अमेरिका में भी जन सुविधाऐं उपलब्ध कराने का काम अर्द्ध महानगर पालिकाऐं और महानगर पालिकाऐं ही करती है अमेरिका में स्थानीय स्वशासन संस्थाऐं पुलिस जैसी कुछ प्रमुख सेवाओं का भी संचालन और नियन्त्रण करती है।

राधाकमत मुखर्जी का अभिगत है कि ''प्राचीन भारत में कि विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था विद्यमान थी व जन साधारण की सामूहिक स्वशासन में पूर्ण आस्था थी।''

भाब्दकुजी :– उद्यमिता, परिप्रेक्ष्य, सूत्रपात्र, महिला प्रतिनिधि कर्तव्य सार्वजनिक कल्याण ग्रामीण आर्थिक विकास में महिला प्रतिनिधि का योगदान।

परिचय :–

प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास के कार्यक्रम में समान जनसहभागिता को बढ़ावा देना है, तथा उन्हें अधिकार से अधिक स्वायत्तता प्रदान करना है। इसके लिये पंचायती राजव्यवस्था में महिलाओं एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया तथा इसे एक पूर्ण स्वामित्व लोकतांत्रिक निकाय का दर्जा दिया गया है। इसके अन्तर्गत पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लियें योजनाऐं बनाने सम्बन्धी अधिकार सौंपे गये। आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की विभिन्न योजनाओं एवं ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों से सम्बन्धित योजनाओं को क्रियान्वयन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी पंचायतों को सौंपी गयी। पंचायतो को विकास के लिये आवश्यक आर्थिक संसाधनों को जुटाने हेतु पंचायतों को पंचायत स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य को अधिशोषित करने का अधिकार दिया गया तथा इस प्रकार एकत्रित धनराशि द्वारा विभिन्न प्रकार की निधियों का गठन कर, आवश्यकता पड़ने पर उनसे निकासी के अधिकार भी दिये है।

महिला उद्यमिता में भारतीय संन्दर्भ का मूल्यांकन किया जाये तो देश की जनसंख्या का आधा हिस्सा महिलाऐं है। अतः देश का समस्त विकास महिलाओं की भागीदारी के बगैर नहीं हो सकता। भारत में अनादिकाल से जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं ने पुरुषों के साथ मिलकर कार्य किया है। भारतीय महिलाऐं घर गृहस्थी का पूरा काम काज निपटाने के साथ–साथ राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र में खेतों खलिहानों, कारखानों, दफ्तरों, अस्पतालों में उपयोगी योगदान करती आयी है। चाहें गाँवों में साक्षरता का अभियान हो या गाँव के पुरुषों को रोजगार उपलब्ध कराने का मामला हो गॉव में पीने का पानी की समस्या अथवा फसलों को भी बिमारियों से बचना हो यह सब कार्य ग्रामीण महिलाऐं ही आपसी सहयोग से विकास कार्यो में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करके कर सकती है। आज ग्रामीण समाज की महिलाऐं नगरों में निवास करने वाली महिलाओं की तरह ही स्वयं में आत्मनिर्भर स्वावलम्बी एवं दूसरें के मार्गदर्शनिक बनने हेतु प्रयासरत है। उसके द्वारा किया जा रहा प्रयास ग्रामीण समाज में विकास की एक नयी क्रान्ति का सूत्रपात कर रहा है। परन्तु यही वह नारी के उप पारस्परिक भूल्यों जो ग्रामीण समाज की धरोहर है उनको भी नष्ट नहीं

कर रही है। सरकार द्वारा महिलाओं के सर्वागीण विकास हेतु अनके कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया जाने के प्रयास किये जा रहे है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए परियोजनाओं के अन्तर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं का भारत सरकार भरपूर सहयोग कर रही है। महिला एवं वाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं की सहायता देने की अपनी योजनाओं में सहयोग लेने के उद्देश्य से गैर सरकारी संगठन सेल बनाया जाता है।

1. महिला प्रतिनिधि कर्तव्य सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रम :– ग्रामीण ऑचल में सार्वजनिक हितार्थ के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम सरकार द्वारा संचालित किये जाते है। जिसमें महिलाओं के योगदार के विषय पर चर्चा करे तो निःसन्देह उनकी विशेष भागीदारी की अपेक्षा रखी जाती है।

हम अपने अध्ययन में यह जानने का प्रयास करेगें कि महिला प्रतिनिधियों उक्त कार्यक्रम का एक समुचित दिशा प्रदान करने में कितना सहयोग प्रदान किया। अपने अध्ययन क्षेत्र फर्रुखाबाद में अध्ययनार्थ 183 निर्देशदाताओं से उनके इस कार्य वित्तीय योगदान के विषय में जानने का प्रयास करेगें।

क्या आपने सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रम में वित्तीय व गैर वित्तीय भूमिका निभाई	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	73	39.90
नहीं	110	60.10
योग	183	100

उपर्युक्त ग्राम के द्वारा अधिक स्पष्ट होता है कि अध्ययनार्थ 183 निर्देशदाताओं में 73 (39. 90 प्रतिशत) महिला सूचनादाताओं ने अपनी वित्तीय भूमिका को स्वीकार्य किया वहीं 110 (60.10 प्रतिशत) सूचनादाताओं ने उपर्युक्त को अल्वीकार करते हुये वित्तीय योगदान देने में असर्मथता व्यक्त की है। इसका प्रमुख कारण अध्ययनकर्ता ने यह अनुभव किया कि ग्रामीण समाज के अर्वगत आमदनी अर्जित करने के बहुत सीमित साधन होते है।

2. ग्रामीण आर्थिक विकास में महिला प्रतिनिधि का योगदान :– ग्रामीण आर्थिक विकास में महिला प्रतिनिधियों के योगदान के सन्दर्भ में जब हम अपने अध्ययन क्षेत्र में जानने का प्रयास किया जो हमें यह ज्ञात हुआ कि महिला प्रतिनिधियों ने सरकारी प्रयासों में चलाई

जा रही रोजगार परक योजनाओं के प्रति लोगों को जागरुक कर उनकी सहभागिता सुनिश्चित की इसके अतिरिक्त ग्रामीण बाजार भी लगवायें जिसके फलस्वरुप लोगों के जीवन यापन हेतु रोजगार उपलब्ध हो सका।

महिला निर्देशदताओं के समक्ष अनेक बाधाऐं व संर्घष के बाबजूद बड़ी संख्या में ये ग्रामीण आर्थिक उत्थान में निश्चय रुप में अपना सहयोग प्रदान कर रही है। इसके साथ ही इनके द्वारा ग्रामीणों में जागरुकता की अलख जलाने का कार्य भी बड़ी तत्पर्यता से किया जा रहा है। क्योंकि उनके द्वारा सम्बन्धित कार्य की जानकरी अन्य ग्रामीण महिलाओं को दी जा रही है तथा इसके द्वारा होने वाले लाभों के बारे में बताया जाता है तो वे इसको सहर्ष स्वीकार करती है।

अतः ग्रामीण क्षेंत्रों में महिलाओं की आर्थिम स्थिति को सुदृढ़बनाने के लिए हथकरधा उद्योग तथा लधु उद्योग और कारचोक, अगरबत्ती, मोमबत्ती जैसे साधनों को बड़ी तेजी से अपना रही है। इसलिये भारत सरकार ने भी हथकरधा, बुनकरों तथा उद्योग, लधु उद्योग तकनीकि और विपणन की सुविधायें तथा अन्य सेवाऐं प्रदान करने की वचनबद्धता अपने राष्ट्रीय ऐजेन्डे में व्यक्त कर रखी है।

''अब हथकरधा क्षेत्र में परिशोधन सुविधायें नये डिजायनों के उपयोग तथा विपणन ने नए–नए उपयों को प्रोत्साहन देने के लिए दीन दयाल हथकरद्या प्रोत्साहन योजना शुरु की जा रही है।''

इस प्रकार ग्रामीण महिलाएं अपने घर में सारे कार्य करने के साथ खेती का कार्य आदि में भी अपनी पूर्णभागीदारी निभाती है। आर्थिक विकास में भी अपनी अभिरुचि को व्यक्त करती है तथा महिलाओं में परिवार के साथ–साथ समन्चय की भावना भी बढ़ी और समाज में इनका सम्मान भी बढ़ा है।

संदर्भ में :–

1. जे एस मित्तल – पुस्तक समजेक्सन आफ बूमैन

2. संविधान के भाग–3 के द्वारा अनुच्छेद–15

3. जैन, मंजू, कार्यशील महिलाएँ एवं सामाजिक परिवर्तन, प्रिटवैल जयपुर 1994

4. पुजारी, प्रेमलता एवं कौशिक, विजय कुमार, बूमैन पॉवन इन इण्डिया, कनिष्क पब्लिसर्स नई दिल्ली 1994

5. श्रीवास्तव टी0एन0 – ''बूमैन एण्ड लॉ'' पब्लिशिंग हाऊस नई दिल्ली ,1995।